न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 2020/00047

उनवान मुकदमा

1. राजेश पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
2. प्रकाश पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
3. छगन पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
4. पप्पु पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
5. श्रीमती कान्ता पत्नी स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
6. विष्णु पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
7. देवीलाल पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
8. श्रीमती उषा पत्नी स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
9. दिनेश पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
10. विनोद पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
11. सुनील पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
12. श्रीमती रतन पत्नी स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
13. सुरज पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
14. राजु पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
15. श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बासवाड़ा (राजस्थान)
16. संजय पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
17. बबलु पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
18. राकेश पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
19. श्रीमती सविता पत्नी स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

—वादीगण

बनाम

1. समीर पिता स्व. सलिम, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी पाला मस्जिद के पास, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

—प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण वकील : श्री महेन्द्र सिंह

निर्णय

दिनांक :—23.03.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज [illegible] गया। वादीगण ने अपने वाद में कथन किया कि वादीगण के स्वामित्व, [illegible] ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा [illegible] स्थित के खाता [illegible] 243 नया 226 पुराना [illegible] खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1600, किस्म बे. द्वितीय, लगानी रू. 0.6640 खसरा नम्बर 2508/197 [illegible] 3.0300 , किस्म राकड चरनोई, लगानी रू. 1.4490 कुल खसरा खेत [illegible] कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल लगानी रू. 2.11 में स्थित है। इस भूमि पर वादीगण अपने बाप दादाओं के समय से कब्जा व स्वामित्व रखते हुए उसका उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा अपने हिस्से का लगान जमा करा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगण की उक्त जमीन पर दिनांक 15.08.2020 को सुबह 10.00 बजे प्रतिवादी व उसके सहयोगीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर अपने साथ मजदूर लाकर जबरन वादीगण के खेत में साफ–सफाई कर प्लॉटिंग करने हेतु सिमेन्ट के मुटाम बनाने लगे जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने मौके पर पहुंचकर प्रतिवादी व उसके सहयोगीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कार्य को करने से रोका तो प्रतिवादी व उसके सहयोगीगण वादीगण के साथ गाली–गलौच कर मरने–मारने को उतारू हो गये तथा वादीगण को धमकी देने लगे कि यह जमीन मेरी है अगर दुबारा इस जमीन पर आये तो तुम लोगों को जान से मार दुंगा। धमकी देने, अवैध रूप से बेचान करने का प्रयास करने के कारण वाद प्रस्तुत किया है।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जाने के आदेश प्रदान करे कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के निजी व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित के खाता संख्या 243 नया 226 पुराना का खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1600 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, लगानी रू. 6640, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.0300 बिस्वा, किस्म राकड चरनोई, लगानी रू. 1.4490 कुल खसरा खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल लगानी रू. 2.11 पर शान्ति पूर्वक कब्जा व स्वामित्व, खेती कार्य मे रूकावट पैदा न तो करे एव ना ही प्लॉटिग करे एव ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करावे तथा जबरन प्रवेश नहीं करे एवं किसी भी प्रकार की लडाई झगडा नहीं करे एवं न तो स्वयं ऐसा करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2070–73 की नकल, नक्शा, मौके की फोटा आदि पेश किये है।

प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन को प्रतिवादी ने लेने से इन्कार किया दो गवाह के समक्ष चस्पा किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नही हुए न ही इनकी तरफ से किसी अधिवक्ता का वकालतनामा पेश हुआ। अतः दिनांक 05.10.2020 को पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई। साक्ष्यवादी में एडब्ल्यू–1 विनोद पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क निवासी भीमपुरा बांसवाड़ा राजस्थान ने दिनांक 15.04.2021 को लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया। दिनाक 15.04.2021 को बयान गवाह एडब्ल्यू–1 विनोद कटारा के बयान वादीगण अधिवक्ता ने कराकर प्रदर्श डाले गये। बयान में बताया कि मैने अपने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र दिनांक 15.04.2021 को प्रस्तुत किया है। जिसकी चरण संख्या 1 से अन्त तक सही व सत्य है। मैने अपने वाद पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत प्रदर्श–1, मौके के फोटो प्रदर्श 2 व 3 प्रस्तुत किये है। प्रतिवादी की तरफ से दिनांक 05.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश है। पुनः परीक्षण शून्य।

दिनांक 23.03.2022 को एक तरफा बहस समायत की गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह ने बहस में बताया कि ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित के खाता संख्या 243 नया 226 पुराना का खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1600 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, लगानी रू. 0.6640, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.0300 बिस्वा, किस्म राकड चरनोई, लगानी रू. 1.4490 कुल खसरा खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल लगानी रू. 2.11 के हम खातेदार है। राजस्व दस्तावेजात में जमाबन्दी संवत 2070–2073 प्रदर्श–1 प्रस्तुत है। वादीगण की संयुक्त खातेदार की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित है। वादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से वादीगण को हानि होना वाजिब है। अतः प्रकरण सुविधा के संतुलन में वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाना उचित है।

अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाने उचित होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द जाता है कि वह वादीगण के निजी व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित के खाता संख्या 243 नया 226 पुराना का खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1600 बिस्वा, किस्म बे. द्वितीय, लगानी रू. 0.6640, खसरा नम्बर 2508/197 रकबा 3.0300 बिस्वा, किस्म राकड चरनोई, लगानी रू. 1.4490 कुल खसरा खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल लगानी रू. 2.11 पर शान्ति पूर्वक कब्जा व स्वामित्व, खेती कार्य में रूकावट पैदा न तो करे एव ना ही प्लॉटिग करे एव ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करावे तथा जबरन प्रवेश नहीं करे एवं किसी भी प्रकार की लडाई झगडा नहीं करे एवं न तो स्वयं ऐसा करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23–03–2022 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : पर्वत सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 00047 / 2022

उनवान मुकदमा

1. राजेश पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
2. प्रकाश पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
3. छगन पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
4. पप्पु पिता स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
5. श्रीमती कान्ता पत्नी स्व. गौतम कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
6. विष्णु पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
7. देवीलाल पिता स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
8. श्रीमती उषा पत्नी स्व. लक्ष्मण कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
9. दिनेश पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
10. विनोद पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
11. सुनील पिता स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
12. श्रीमती रतन पत्नी स्व. बदिया कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
13. सुरज पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
14. राजु पिता स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
15. श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. हिरजी कटारा जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
16. संजय पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
17. बबलु पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
18. राकेश पिता स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)
19. श्रीमती सविता पत्नी स्व. बापु कटारा, जाति भील उम्र वयस्क, निवासी भीमपुरा, बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. समीर पिता स्व. सलिम, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी पाला मस्जिद के पास, बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>वादीगण वकील : श्री महेन्द्र सिंह</u>

निर्णय

दिनांक : 23 / 03 / 2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजिर विद्वान वादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द जाता है कि वह वादीगण के निजी व आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम बांसवाडा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित के खाता संख्या 243 नया 226 पुराना का खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1600 विस्वा, किस्म बे. द्वितीय, लगानी रू.6640, खसरा नम्बर 2508 / 197 रकबा 3.0300 बिस्वा, किस्म राकड चरनोई, लगानी रू. 1.4490 कुल खसरा खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल लगानी रू. 2.11 पर शान्ति पूर्वक कब्जा व स्वामित्व, खेती कार्य में रूकावट पैदा न तो करे एव ना ही प्लॉटिंग करे एव ना ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करावे तथा जबरन प्रवेश नहीं करे एवं किसी भी प्रकार की लडाई झगडा नहीं करे एवं न तो स्वयं ऐसा करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

नोट– **शून्य** मुवलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक शून्य का अदा करे।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 23.03.2022 को जारी की गई।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शुन्य	स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य
स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य	स्टाम्प अरजी	शुन्य
स्टाम्प वहज सवुत	शुन्य	मेहनतनामा	शुन्य
मेहनतनामा वकील	शुन्य	खर्चा गवाहान	शुन्य
खर्चा गवाहान	शुन्य	फीस कमिश्नर	शुन्य
फीस कमिश्नर	शुन्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शुन्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शुन्य	मुतफरीक	शुन्य
मुतफरीक	शुन्य		
कुल	शुन्य	कुल	शुन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned with CamScanner